न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 138/2012(पुराना मुं0नं038/09)

उनवान

1. नसीर पुत्र मोहम्मद
2. बशीर पुत्र मोहम्मद
3. हनीफ पुत्र नजीर जाति मुसलमान निवासी ग्राम सूरवाल, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

वादीगण

1. साकिर अली
2. जाकिर
3. मुस्ताक
4. मोहम्मद अली
5. मुस्तफा

पिसरान सराजुद्दीन
निवासीयान सूरवाल
तहसील व जिला सवाई माधोपुर

6. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार,सवाई माधोपुर।
7. भूमि आवाप्ति अधिकारी,सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत सवाई माधोपुर ।

–प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा ।

अभिभाषक :–1. श्री विनोद अग्रवाल वकील वादीगण
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील प्रतिवादीगण
3. श्री महावीर प्रसाद चोधरी पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांकः– 29.01.2019**

वादी द्वारा एक वादपत्र उद्घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा में पेश किया है। दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि 1. वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही गांव सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर के रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं 2. यह कि हाल खसरा नम्बर 2915/6666 रकबा 7 ऐयर ,खं0नं0 3088 रकबा 3 ऐयर, खं0नं0 3089 रकबा 15 ऐयर,खं0नं0 3090 रकबा 1 ऐयर गैर मुमकिन चाह, खं0नं0 3091 रकबा 1 ऐयर गैर मुमकिन बाडा, खं0नं0 3092 रकबा 5 ऐयर,खं0नं0 3093 रकबा 7 ऐयर कुल किता 7 रकबा 0.39 वाके ग्राम सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में है जिसकी हाल जमाबन्दी स0 2062 से 2065 मे सराजुद्दीन पुत्र जुम्मा बतौर राहीन एवम् नशीर व बसीर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 2/3 व हनीफ पुत्र नजीर हिस्सा 1/3 कोम मुसलमान निवासी सुरवाल बतौर मुर्तहीन जमाबन्दी में दर्ज हैं। सराजुद्दीन मर चुका है, जिसका नामान्तकरण विरासत का मुसत्याक,साकिर अली,जाकिर,मुस्तफा मोहम्मद अली के नाम ,खुल चुका है इसलिऐ प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 बनाया गया है। 3. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा न0 3088,3089,3090,3091,3092,3093 का पुनाने खसरा नम्बर 83 थे व खसरा नम्बर 2915/6666 के पुराने नम्बर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 820 मिन थे। 4. यह कि हाल खसरा नम्बर 2915/6666 ,खं0नं0 3088,,खं0नं0 3089,खं0नं0 3090, खं0नं0 3091, खं0नं0 3092,खं0नं0 3093 ऐयर वाके ग्राम सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में वादीगण नं0 1 लगायत 5 व उनके बुजुर्गान

सहायक कलेक्टर
मु० सवाई माधोपुर

बतौर राहिनें दर्ज है, इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड दस साला व बीस साला मे भी राहीन, मुर्तहीन का इन्द्राज चला आ रहा है, तथा सैकडो वर्षो से समस्त रेवेन्यू रिकार्ड मे रहन मुर्तहीन का इन्द्राज चला आ रहा है। इसी प्रकार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रभाव मे आने के सैकडो वर्षो पूर्व से ही विवादग्रस्त आराजीयात का रहन मुर्तहीन का इन्द्राज बदस्तुर चला आ रहा है, इस वक्त भी चला आ रहा है। 5. यह कि राज0 टीनेन्सी एक्ट मे जो टीनेन्ट की परिभाषा दी गई है, उसमे मुर्तहीन को टीनेन्ट के रूप मे माना गया है। 6. यह कि पूर्व में जिला सवाई माधोपुर मे तहसीलदारो ने जो रहन मुर्तहीन के इन्द्राज थे उन सबको रहन मुर्तहीन का इन्द्राज समाप्त करते हुऐ राहीनो के नाम खातेदारी दर्ज करदी थी जबकि तहसीलदारो को यह अधिकार नही था तहसीलदारो को तो केवल नामान्तकरण का ज्यूरिडिक्सन था। विवादग्रस्त आराजीयात का नामान्तकरण भी प्रतिवादीगण के पिता सिराजुद्दीन के पक्ष में खोल दिया गया था उस वक्त सिराजुद्दीन जिंदा थे। हमने सिराजुद्दीन के खुले नामान्तकरण संख्या 701 की अपील श्रीमान् उप जिलाधीश सवाई माधोपुर के यहा प्रस्तुत की थी जिसका फैसला उप जिलाधीश ने दिनांक 18.5.82 को कर दिया था एवम् नामान्तकरण आदेश दिनांक 20.4.76 निरस्त कर बदस्तुर रहन मुर्तहीन का इन्द्राज किये जाने का आदेश फरमा दिया था। इस प्रकार आज भी रहन मुर्तहीन का इन्द्राज चला आ रहा है। 7. यह विवादग्रस्त आराजीयात पर बजमाने बुजुर्गान से ही हम वादीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा आज भी हमारा बदस्तुर कब्जा है, पहले हमारे बुजुर्गान का कब्जा था एवं पुरानी गिरदावरीयों में भी हमारा कब्जा दर्ज है, व लगान सरकारी अदा कर रहे है सम्बवत् 2012 से 2015 जमाबन्दी गिरदावरी में हमारा कब्जा है। 8. यह कि राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभाव में आने के बाद में राज0 टीनेन्सी एक्ट में पुराने रहन के बारे मे यह अवधारणा ली गई है कि वह पुराना रहन 20 वर्ष के लिऐ माना जाऐगा एवम् अगर रहन से नही छुडाया है, तो रहन मुर्तहीन के सबंध समाप्त समझे जाऐगे एवम् उसके 12 वर्ष पश्चात् बाई एडवर्स पजेशन मुर्तहीन को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाऐगे इस प्रकार कानूनन रहन मुर्तहीन का इनद्राज समाप्त फरमाते हुऐ एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना कानूनन जरूरी व आवश्यक है, एवम् वादीगण विवादग्रस्त आराजी अपनी खातेदारी मे दर्ज करवाने के मुस्तैह है 9. यह कि अभी लालसोट से कोटा मेगा आईवे पर सूरवाल में पास बाईपास सडक बन रही है, जिसमे खसरा न0 3088,3089,3093का सम्पूर्ण रकबा सडक निर्माण के लिऐ अवाप्त किया जा रहा है, परन्तु अवाप्ति अधिकारी ने न तो हमे कोई नोटिस दिया और न कोई मुआवजा ही दिया है, एवम् बिना कोई मुआवजा दिये सडक निर्माण कर रहे है, जिसका उसे कोई अधिकार नही है, अवाप्ति अधिकारी को बिना मुआवजा अदा किये इस प्रकार सडक निकालने से पाबन्द किया जाना जरूरी है।10. यह कि वादीगण विवादगस्त आराजियात के खातेदार टीनेन्ट है, एवम् काबिज है, इसलिऐ वादीगण को इसका मुआवजा प्राप्त करने का एक मात्र अधिकार है । 11. यह कि सडक का काम चालू कर दिया है, अगर हमे बिना मुआवजा अदा किये प्रतिवादीगण सडक निकालने में सफल हो गये तो हमे नाकाबिले नुकसान होगा एवम् हमारी पुरी पुरी बरबादी है इसलिऐ प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना जरूरी है, कि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 कोई मुआवजा प्राप्त नही करे एवम् प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 कोई मुआवजा 1 लगायत 5 को अदा नही करें हमने प्रतिवादीगण से पहले भी रहन मुर्तहीन का इन्द्राज समाप्त करने के लिऐ कहा परन्तु प्रतिवादीगण यह कहकर टालते रहे कि कब्जा तुम्हारा है, फिर कभी भी रहन मुर्तहीन का इन्द्राज दुरूस्त करवा देगे। 12. यह है कि दिनांक 24.02.09 की बात है कि प्रतिवादीगण एवम् ठेकेदार के लोग मौके पर आऐ तथा विवादग्रस्त आराजियात पर सडक निकालने पर आमादा हुऐं वादीगण ने कहा कि यह हमारी खातेदारी की जमीन है वह कब्जा है आज बिना मुआवजा दिये हमारी जमीन से कैसे सडक निकाल रहे है, इस पर प्रतिवादीगण आमादा फसाद हुये और कहा कि हम सडक निकालेगे तुम्हारी मन मे आऐ जो करो, यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा करना लाजमी हुआ। इसी दिन वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 से यह भी कहा कि हमारे नाम खातेदारी दर्ज कराओ व रहन मुर्तहीन का इन्द्राज समापत कराओ तो उन्होने पहली बार हमारे नाम खातेदारी दर्ज कराने से इन्कार कर दिया । इसलिऐ इन्द्राज दुरूस्ती का दावा करना भी आवश्यक हुआ है। 13. दावा दिनांक 24.2.09 को प्रतिवादीगण ने विवादगस्त आराजीयात

-3

सहायक कलेक्टर
मु० सवाई माधोपुर

में होकर बिना वादीगण को मुआवजा अदा किऐ जबरदस्ती सडक निकालने का इरादा जाहिर किया तथा पहली बार रहन मुर्तहीन का इन्द्राज समाप्त कर हमारी दर्ज कराने से इन्कार किया तब अन्दर हदूद अदालत वाला पैदा हुआ है अतः ब लिहाज मालियत दावा एवम् सकूनत फरीकेन को देखते हुऐ यह दावा इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 14. यह कि दावा चार रूपये कोर्ट फीश पर अधीन धारा 88,188,92ऐ राजस्थानटीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत अन्दर मयाद प्रस्तुत किया है। 15 यह कि यह अर्जेन्ट प्रकृति का मामला है, इतना समय नही है, कि प्रतिवादी नं0 6 व 7 को नोटिस दिया जा सके क्योंकि प्रतिवादीगण तुरन्त सडक निकालने पर आमादा हो रहे है, इसलिऐ धरा 80(2)सी.पी.सी. के अन्तर्गत बिना नोटिस दिये ही दावा चलने की अनुमति दिया जाना इंसाफन जरूरी है, एवम् नोटिस दिये जाने की अनिवार्यता क्षमा किये जाने योग्य है, उसके लिऐ 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। 16. यह है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। ए– यह उद्घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2915/6666 रकबा 7 ऐयर ,खं0नं0 3088 रकबा 3 ऐयर, खं0नं0 3089 रकबा 15 ऐयर,खं0नं0 3090 रकबा 1 ऐयर गैर मुमकिन चाह, खं0नं0 3091 रकबा 1 ऐयर गैर मुमकिन बाडा, खं0नं0 3092 रकबा 5 ऐयर,खं0नं0 3093 रकबा 7 ऐयर वाके ग्राम सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर के वादीगण खातेदारी टीनेन्ट है तथा रहन मुर्तहीन का इन्द्राज समाप्त कराने एवम् अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के वादीगण मुस्तैक है तथा विवादगस्त आराजीयात मे बिना वादीगण को मुआवजा दिये प्रतिवादीगण सडक निकालने से पाबंद कराने के अधिकारी हैं वादीगण को विवादगस्त आराजीयात पर वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा नही पहुचाने के लिऐ स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के वादीगण अधिकारी है। बी– यह कि विवादग्रस्त आराजीयात मद न 16 (ए) में उल्लेखित आराजीयात का रहन मुर्तहीन का इन्द्राज समाप्त फरमाते हुऐ तथा वादी की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे एवम् समस्त रवेन्यू रिकार्ड व रिकोर्ड आफ राईटस दुस्स्त फरमावे। सी– प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये कि ये विवादग्रस्त आराजियात हाल खसरा नम्बर 2915/6666 रकबा 7 ऐयर ,खं0नं0 3088 रकबा 3 ऐयर, खं0नं0 3089 रकबा 15 ऐयर,खं0नं0 3090 रकबा 1 ऐयर गैर मुमकिन चाह, खं0नं0 3091 रकबा 1 ऐयर गैर मुमकिन बाडा, खं0नं0 3092 रकबा 5 ऐयर,खं0नं0 3093 रकबा 7 ऐयर वाके ग्राम सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं पैदा करे नही एजेन्ट से करवाये। प्रतिवादीगण को इस अमर से भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे कि वे वादीगण को बिना उचित मुआवजा अदा किये विवादग्रस्त आराजियात में होकर सडक न निकाले नही किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करे। डी– यह है कि अन्य दादरसी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण प्रदान किये जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 5 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर 08.06.09 को पेश किया जो इस प्रकार है। 1. कि दावे के मद नं0 1 स्वीकार है।2. वाद पत्र का मद नम्बर 2 मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही है। लेकिन विवादित भूमि से वादीगण का कोई संबंध नही है। 3. वाद पत्र का मद नम्बर 3 स्वीकार है। 4. वाद पत्र का मद नम्बर 4 लगायत 13 अस्वीकार है । 5. वाद पत्र का मद नम्बर 14 व 15 कानूनी है। 6. वाद पत्र के मद नम्बर 16 में अंकित दादरसी ए,बी,सी,डी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है एवं विशेष विवरण मय काउन्टर क्लेम निम्न प्रकार पेश किया है कि 1. यह कि वाके ग्राम सूरवाल में स्थित साबिक खं0नं0 820 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा किस्म डहरी दोयम कदीमी समय से प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि रही है। 2. वादीगण चालाक किस्म के व्यक्ति है प्रतिवादीगण के पिता सिराजुद्दीन पुत्र जुम्मा ने मोहम्मद पुत्र मीर खॉ को 7/– रूपये कलदार चांदी के बजाय 700 रूपये नकद देकर विवादित भूमि को रहन से बागुजास्त करवा लिया थां एवं जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक 166 दिनांक 2.3.76 की पालना में तहसीलदार सवाई माधोपुर ने नामान्तकरण संख्या 70 तस्दीक किया गया था। प्रमाणित प्रति संलग है 3. वादीगण के पिता ने प्रतिवादीगण के पिता से रहन की राशि प्राप्त करने के पश्चात मात्र रंजीश के कारण पुनः दिनांक 23.01.80 को अपील प्रस्तुत कर दी जिसमें प्रतिवादी के पिता की तामील भी फर्जी

सहायक कलेक्टर
मु० सवाई माधोपुर

तरीके से करवाई है। एवं प्रतिवादीगण के पिता के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करवाकर पुनः फर्जी तरीके से राजस्व रिकार्ड में अमल करवा लिया राजस्व जमाबंदी संख्या 2033 से 2036 की,सम्बवत 2037 से 2040 की जवाब दावे के साथ संलग्न है। 4. वादीगण के पिता ने विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 701 तस्दीक दिनांक 20.4.76 को 4 वर्ष बाद अपील करके चेलेन्ज किया था माननीय न्यायालय ने विवादगस्त नामान्तकरण को रिमाण्ड किया था लेकिन तहसीलदार सवाई माधोपुर ने सुनवाई हेतु नोटिस भी जारी नहीं किया एवं विवादग्रस्त भूमि को पुनः रहन का इन्द्राज कर दिया 5. यह कि सन 1976 से रहन की राशि अदा करने से लेकर आज तक भोतिक कब्जा विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है।6. वादीगण जनहित के उदेश्यों की पूर्ति हेतु बनाये जा रहे मेगा हाईवें के कार्य में भी व्यवधान पेदा किया जा रहा है। विवादित भूमि में से मात्र 3 ऐयर भूमि रोड के लिए आवाप्त की गई। रोड की भूमि का मुआवजा प्रतिवादीगण प्रापत करने के अधिकारी है। क्योंकि सन् 1976 से प्रतिवादीगण रिकाडेड खातेदार काश्तकार है। राजस्व जमाबंदी जवाब दावे के साथ संलग्न है। 7. वादीगण बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में व्यवधान पैदा करने के लिए आमादा है। इसलिए वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। 8. विवादित भूमि सम्वत 1988 से प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम से खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण को इस्तकरार हक प्राप्त है कि न्यायालय हाजा की शरण लेकर हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहन के इन्द्राज को हफज कराने के अधिकार प्राप्त है। 9. वादीगण ने रंजीश के कारण म्याद बहार वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो स्वतः ही निरस्त होने योग्य है क्योंकि वादीगण न्यायालय हाजा से कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है। 10. प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर सन् 1976 से भौतिक कब्जा रहन से बागुजास्त होने के समय से लेकर आज तक विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। 11. विवादित भूमि के कुछ हिस्से में होकर मेगा हाईवे का निर्माण भी चल रहा है प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण वादीगण मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है। रोड का मुआवजा नियमानुसार प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं 12. वादीगण कानून को हाथ में लेकर विवादित भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर सकते है इसलिए प्रतिवादीगण की ओर से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर काउन्टर क्लेम प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः— अ. वाके ग्राम सूरवाल में स्थित साबिक आराजी ख0नं0 820 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के हाल नवीन खं0नं0 2915/6666 रकबा 7 ऐयर ,खं0नं0 3088 रकबा 3 ऐयर, खं0नं0 3089 रकबा 15 ऐयर,खं0नं0 3090 रकबा 1 ऐयर, खं0नं0 3091 रकबा 1 ऐयर, खं0नं0 3092 रकबा 5 ऐयर,खं0नं0 3093 रकबा के इन्द्राज में से रहनका इन्द्राज हफज किया जाकर प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। ब. वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे। स. प्रतिवादीगण संख्या 7 को पाबंद किया जावें कि रोड का मुआवजा प्रतिवादीगण को ही अदा करे। द. अन्य दादरसी जो भी मुफीद हो प्रतिवादीगण को दिलाई जावे। **वादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाबुल जवाब निम्न प्रकार पेश किया** 1. काउन्टर क्लेम के विशेष विवरण का मद नं0 1 स्वीकार नहीं है खं0नं0 820 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम सूरवाल पर प्रतिवादीगण को कोई कब्जा नहीं है। 2. काउन्टर क्लेम के विशेष विवरण का मद नं0 3 स्वीकार नहीं हैं हमने कोई फर्जीयत नहीं की है अपितु कानूनी प्रकिया से हमारा कब्जा व स्वामित्व विवादित आराजी पर रहा हैं 4. काउन्टर क्लेम का विशेष विवरण का मद नं0 4 स्वीकार नहीं है। 5. काउन्टर क्लेम का विशेष विवरण का मद नं0 5 स्वीकार नहीं है।प्रतिवादीगण का कोई कब्जा विवादित आराजी पर नहीं है 6. काउन्टर क्लेम का विशेष विवरण का मद नं0 6 स्वीकार नहीं है। हमारे द्वारा रोड निर्माण में व्यवधान पैदा नहीं किया जा रहा है अपितु हमें बिना मुआवजा दिये रोड बनाया जा रहा है। 7. काउन्टर क्लेम का विशेष विवरण का मद नं0 7 स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी को हमें किसी भी तरह से पाबन्द कराने का कोई हक नहीं है। 8. काउन्टर क्लेम का विशेष विवरण का मद नं0 8 स्वीकार नहीं है।प्रतिवादीगण के सारे अधिकार विवादित भूमि से खत्म हो चुके है। 9. काउन्टर क्लेम का विशेष विवरण का मद नं0 9 स्वीकार नहीं है।

-5

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

वादीगण का दावा अन्दर मियाद है। 10. काउन्टर क्लेम का विशेष विवरण का मद नं0 10 स्वीकार नहीं है। विवादित भूमि रहन से कभी बागुजास्त नहीं हुई है, इसलिए प्रतिवादीगण का रहन से छुडाना व कब्जा होने का सवाब ही नहीं है। 11. काउन्टर क्लेम का विशेष विवरण का मद नं0 11 स्वीकार नहीं है।प्रतिवादीगण किसी भी तरह से कोई मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। 12. काउन्टर क्लेम का विशेष विवरण का मद नं0 12 एवं इसमे चाहा गया अनुतोष अ लगायत द प्रतिवादीगण इस न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम मय खर्चा खारिज होने योग्य है। **विशेष विवरणः**– काउन्टर क्लेम कतई गलत आधारो पर पेश किया जो खारिज होने योग्या है प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम म्याद बाहर है, कानून हमसे कब्जा लेने की मियाद समाप्त हो चुकी है एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है एवं प्रतिवादीगण के सारे अधिकार विवादित आराजी से खत्म हो चुके है, वे विवादित आराजी के कब्जे से आउल्ट रहे है। एवं हमारा उक्त आराजी पर एडवर्स पजेशन रहा है। प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम में न तो कोई काज ऑफ एक्शन दर्ज किया है, न ही काउन्टर क्लेम पेश करने हेतु कोई कारण उत्पन होना दर्ज किया है। बिनाय दावा के अभाव में प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम चलने योग्य नहीं है प्रतिवादीगण ने कोई कोर्ट फीस व दाव मालियत का हवाला भी नहीं दिया है, लिहाजा काउन्टर क्लेम किसी भी सूरत में चलने योग्या नही है इस प्रकार जवाब काउन्टर क्लेम पेशकर निवेदन है कि प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तनकीयात निम्न प्रकार कायम की गईः–

1. आया वादी एवं प्रतिवादी ग्राम सूरवाल के निवासी है । (वादी)
2. आया विवादग्रस्त आराजी खं0 नं0 2915/6666,3088,3089 व 3090,3091,3092,3093 खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा रहनमुर्तहीन का इन्द्राज दुरूस्त कराने का अधिकारी है? (वादी)
3. आया वादीगण प्रतिवादीगण को विवादग्रस्त आराजीयात बाबत स्थाई निषेधाज्ञासे पाबंध कराने का अधिकारी है ? (वादी)
4. आया दावा मियाद बाहर है? (प्रतिवादीगण)
5. अन्य दादरसी ?

साक्ष्य वादी में पी0डब्लू–1 वादी नसीर पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सूरवाल के बयान शपथ पत्र पेश हुये जिस पर दिनांक 19.2.2013 को वादी का शपथ पत्र बयान लिया गया व वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श 1 प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत् 2062–65, ग्राम सूरवाल तह0 व जिला सवाई माधोपुर, प्रमाणित नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2015 प्रदर्श –2, प्रमाणित नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, उप जिलाधीश सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 18.5.82 की प्रमाणित छाया प्रति प्रर्दश– 4, नकल वसीयत प्रदर्श–5 ,असल पंचनामा प्रदर्श–6 शपथ पत्र शुगरा पुत्री वकील प्रतिवादीगण जिरह की जिसमें गवाह ने कहा की यह भूमि सैकडो वर्षो से हमारे कब्जे में है एवं यह कहना भी गलत बताया कि रहन का पैसा चुका दिया गया हो और राहिन मालिक बन गया हो। पी0डब्लू–2 जाहिद पुत्र जुम्मा खॉ के बयान शपथ पत्र पेश हुआ जिस पर दिनांक 19.2.13 शपथ पत्र बयान लिये गये जिसमें बाप दादा के समय से ही वादीगण का कब्जा होना बताया गया । पी0डब्लू–3 इस्माईल पुत्र काल्या खा के शपथ पत्र पेश हुये जिस पर दिनांक 2.4.13 को शपथ पत्र बयान लिये गये । पी0डब्लू–4 सद्दीक खॉ पुत्र मोहम्मद खा के शपथ पत्र पेश हुये जिस पर दिनांक 2.4.13 को शपथ पत्र बयान लिये गये व साक्ष्य वादी बन्द की गई। प्रतिवादी ने अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू–1 शाकिर अली पुत्र सिराजुद्दीन के बयान शपथ पत्र पेश हुये जिस पर दिनांक 06.03.2018 को प्रतिवादी का शपथ पत्र बयान लिया गया व प्रतिवादी ने अपने दावे के समर्थन में में जमाबन्दी सम्वत् 2033–2036 प्रदर्श–ऐ 1 ,जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 प्रदर्श –ऐ 2 पेश की है नामान्तकरण प्रदर्श–ऐ 3 पेश की है व साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू–2 रज्जाक पुत्र नसरूद्दीन के बयान शपथ पत्र पेश हुये जिस पर दिनांक 20.04.2018 को प्रतिवादी का शपथ पत्र बयान लिया गया

-6

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

साक्ष्य प्रतिवादी ने प्रतिवादीगण का कब्हा होना बताया गया है एवं रहन से वागुजास्त की राशी चुकता की कोई लिखा पढी नही होना बताया वकील प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द करवाई ।

वकील उभय पक्षो की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य का पूर्ण रूप से अवलोकन किया तनकी के अनुसार निर्णय निम्नानुसार किया जा रहा है:—

1. तनकी नं0 1 आया वादी एवं प्रतिवादी ग्राम सूरवाल के निवासी है । (वादी)
   इस तनकी के सम्बन्ध में वादी ने अपने स्वयं का बयान न्यायालय में कराया है जिसमे उसने स्वयं वादी जिसकी पुष्टि प्रदर्श 1 प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत् 2062—65, ग्राम सूरवाल तह0 व जिला सवाई माधोपुर, पेश की है जिससे हो रही है इस तरह तनकी नं0 एक का निर्णय उपरोक्तानुसार किया जाता हैं ।
2. तनकी नं0 2:— आया विवादग्रस्त आराजी खं0 नं0 2915/6666,3088,3089 व 3090,3091,3092,3093 खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा रहनमुर्तहीन का इन्द्राज दुरूस्त कराने का अधिकारी है? (वादी)
   इस तनकी के सम्बन्ध में कब्जे बाबत अंतिम गिरदावरी सम्वत 2031 से 34 तक बनी थी। लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत नही किये जाने से यह ज्ञात नही होता है कि वादी का विवादित भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा हो ऐसी सूरत मे वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त साबित नही होने के कारण तनकी नं0 2 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।
3. तनकी संख्या 3 :— आया वादीगण प्रतिवादीगण को विवादग्रस्त आराजीयात बाबत स्थाई निषेधाज्ञासे पाबंध कराने का अधिकारी है ? (वादी)
   इस तनकी के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड व जमाबन्दी में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के पिता के नाम उक्त विवादित भूमि खातेदारी दर्ज होकर राहिन वादी के होने व तनकी न0 2 वादी के पक्ष में निर्णित नही होने से यह तनकी भी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।
4. तनकी संख्या 4 :— आया दावा मियाद बाहर है? (प्रतिवादीगण)
   तनकी संख्या 4 का दावा मियाद बाहर होने के कारण प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
5. तनकी संख्या 5 :— अन्य दादरसी ?
   तनकी संख्या 1 लगायत 5 के अनुसार यह मत दिया है कि वादी ने भी निरन्तर अपना कब्जा काश्त होने बाबत कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 2015 के अलावा पेश नही किया जिससे यह ज्ञात नही होता है कि विवादित भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त है एवं प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड से रहन मूर्तहिन होना साबित होता है लेकिन प्रतिवादी ने भी ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नही किया जिससे विवादित भूमि पर उसने कब्जा प्राप्त किया हो तथा कब्जा प्राप्त करने का दावा पेश किया हो व काउन्टर दावा पेश करने के दिन से लगातार उसका कब्जा हो प्रतिवादी के पक्ष के रहन बागुजास्त का जो नामान्तरकरण संख्या 701 दिनांक 20.4.76 खोला गया था वह भी अपीलेन्ट कोर्ट उप जिलाधीश द्वारा अपील संख्या 4/80 निर्णय दिनांक 18.5.82 द्वारा अपास्त कर दिया गया हैं । प्रतिवादी ने ऐसा कोई सबूत भी पेश नही किया कि उसने रहन की रकम चुकाकर रहन बागुजास्त कराई हो वह कब्जा प्राप्त किया हो। ऐसी सूरत में प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम भी साबित होना नही पाया गया इसलिये वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज होने योग्य पाया जाता है ।

हमने वकील वादी व प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम पर बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। वकील वादी ने दोराने बहस बताया कि उनका राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभाव से आने पूर्व का कब्जा काश्त है

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

एवं निरन्तर चला आ रहा है। तथा तभी से विवादित आराजीयात पर काबिज चले आ रहे है। इस कारण 12 वर्ष से अधिक समय से विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने के कारण प्रतिवादीगण को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। इस सम्बन्ध में स्पेशल लीव अपील (सिविल) न0 28034/2011 में स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम मुकेश कुमार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल कब्जे (Adverse possession) के आधार पर चाहे गए स्वामित्व की याचिका को खारिज करने वाला निर्णय दिनांक 30.09.2011 भी विचारनीय है। उक्त याचिका को खारिज करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जा किसी अतिचारी अपकृत्य के दोषी या विधि में किसी अपराध में भी ऐसी भूमि के वैध स्वत्व को हासिल करने की अनुमति प्रदान करता है, जिस पर उसने 12 वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा है– कैसे 12 वर्षों की अवैधानिकता को अचानक वैध स्वत्व में तब्दील किया जा सकता है, तार्किक व नैतिक रूप से कहा जावे तो यह व्यग्र करने वाली है ।माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपने निर्णयो में इसी तथ्य को अभिमत करते हुऐ माना है कि राजस्थ काश्त कारी अधि0 के अन्तर्गत एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नही है।उक्त निर्णय के प्रकाश में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार कैसे व किस आधार पर प्रदान किए जा सकते है। प्रतिकूल कब्जा प्रत्यक्षतः अतिक्रमी/अतिचारी को बढ़ावा देता है। इस कारण यह न्यायालय एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के मत मे नही है।फततः यह न्यायालय वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य पाया है।जहां तक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का प्रश्न है प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम के समर्थना में न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की है नही प्रतिवादीगण अपनी मोखिक साक्ष्य से इस तथ्य को साबित करने में सफल हो पाये है फलतः यह न्यायालय प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम को भी खारिज किये जाने योग्य पाया है। **अतः दावा वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।**

निर्णय आज दिनांक **29/01/2019** को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अन्जु शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(मु0) सवाईमाधोपुर